नंदेश्वर प्रसाद व अन्य

बनाम

यू. पी. राज्य व अन्य

(पी. बी. गजेन्द्रगडकर, के. एन. वांचू और के. सी. दास गुप्ता जे.)

भूमि अधिग्रहण-राज्यपाल द्वारा अधिसूचना-औद्योगिक आवासों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता-दूसरी अधिसूचना-कलेक्टर को कब्जा करने का निर्देश-कब्जा लेने की कलेक्टर की अधिसूचना-कानपुर विकास बोर्ड के लिए अधिग्रहण- आवश्यक होने पर धारा 114 कानपुर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए - धारा 5 ए-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत कार्रवाई किए बिना धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की जा सकती है- 5 ए- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1), धारा 4,5,5 ए, 6,9, 17(1), 17(4), कानपुर शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम, 1945 (1945 का अधिनियम VI), धारा 71,114.

इन दोनों अपीलों में कानून के समान प्रश्न उठते हैं और 1962 की सी. ए. संख्या 166 के तथ्य 1962 की सी. ए. संख्या 167 के समान हैं जो कि निम्नलिखित है-

1962 की सी. ए. सं. 167 में अपीलार्थी कानपुर शहर में स्थित कुछ भूमियो का स्वामी है। इस जमीन पर एक मिल और गोदाम है और ज़मीन का कोई भी हिस्सा बंजर भूमि या कृषि योग्य भूमि नहीं है। 1932 में यूपी

सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कानपुर की एक योजना (योजना संख्या XX) को मंजूरी दी। इस ट्रस्ट को कानपुर शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम, 1945 के कारण विकास बोर्ड, कानपुर में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

1955 में उत्तर प्रदेश सरकार के आवास विभाग ने औद्योगिक आवासों के निर्माण के लिए एक योजना को प्रायोजित किया। योजना का कुछ हिस्सा उस इलाके से संबंधित है जिसमें विवादित भूमि स्थित है। 1956 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एक अधिसूचना इस प्रभाव के लिए जारी की गई थी कि विवादित भूखण्डो की उत्तर प्रदेश सरकार की अनुदानित औद्योगिक आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के साथ-साथ सामान्य सुधार और बोर्ड की सड़क योजना सं. XX के लिए आवश्यकता थी। इसके बाद धारा 6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी गई जिसमे कहा गया है कि यह मामला अत्यावश्यक होने के कारण राज्यपाल द्वारा धारा 17 की उप-धाराओं (1) व (1-ए) के तहत संतुष्ट होते हुए कानपुर कलेक्टर को, धारा 11 के तहत आदेश पारित नहीं होने के बावजूद, निर्देश दिए गए हैं कि धारा 9 (1) में उल्लिखित नोटिस की समाप्ति पर कलेक्टर अनुसूची में उल्लिखित भूमि का कब्जा ले सकेगा। इसके बाद धारा 9 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 15 दिनों के भीतर भूमि का कब्जा ले लिया जाएगा। इसके बाद अपीलार्थी ने संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में दो मुख्य बिंदु उठाए गए थे। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि चूंकि अधिग्रहण बोर्ड की योजना सं XX के प्रयोजन के लिए था, कार्रवाई कानपुर अधिनियम की धारा 114 और उसकी अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए थी और चूंकि इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं गई थी, इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही अमान्य थी। दूसरा यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5A के तहत कार्रवाई किए बिना धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप रिट याचिका को खारिज कर दिया। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ दायर की गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में वही प्रश्न उठाए गए थे जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे।

अभिनिर्धारित- जब बोर्ड धारा 71 के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही करता है तभी धारा 114 लागू होगी और अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 114 और अनुसूची द्वारा संशोधित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। लेकिन जहां अधिग्रहण, वर्तमान मामले की तरह, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सरकार द्वारा, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, हालांकि वह उद्देश्य बोर्ड का उद्देश्य हो सकता है,

कानपुर अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है और सरकार केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही करेगी।

अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना जारी किये जाने से पहले धारा 5A के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। यहां तक कि जहां सरकार धारा 17(1) के तहत निर्देश देती है वहा यह आवश्यक नहीं है कि सरकार धारा 17(4) के तहत निर्देश दे। यदि सरकार केवल धारा 17(1) के तहत निर्देश देती है, तो धारा 6 की अधिसूचना जारी किये जाने से पूर्व धारा 5 के तहत प्रक्रिया की पालना आवश्यक रूप से की जाएगी। धारा 5 के तहत कार्यवाही करना और उसके तहत एक रिपोर्ट बनाना उस स्थिति में आवश्यक हो जाता है जब सरकार भी धारा 17 (4) के तहत घोषणा करती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17(1) या धारा 17(4) के तहत आदेश केवल बंजर भूमि या कृषि योग्य भूमि के संबंध में पारित किया जा सकता है और इसे उस भूमि के संबंध में, जो बंजर या कृषि योग्य भूमि नहीं है व जिन पर इमारतें खड़ी हैं, पारित नहीं किया जा सकता है।

जैसे धारा 17 (1) और धारा 17 (4) एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, वैसे ही धारा 17 (1-ए) और धारा 17(4) एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और धारा 17 (1-ए) के तहत एक आदेश पारित होने से यह नहीं माना जा सकता है कि

एक आदेश धारा 17 (4) के तहत भी पारित होना आवश्यक होगा।

धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिग्रहण की धमकी दी जा रही हो और मात्र धारा 17(4) में धारा 17 (1-ए) का उल्लेख करने मात्र से उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। धारा 17(1-ए) के प्रावधान में धारा 17 (1) का उल्लेख केवल उन परिस्थितियों और शर्तों, जिनके तहत कब्जा लिया जा सकता है, को इंगित करने के लिए किया गया है।

राज्य सरकार के लिए धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना में यह कहना उचित नहीं था कि धारा 5-ए के तहत कार्यवाही नहीं होगी। धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना का यह हिस्सा राज्य सरकार की शक्तियों से परे है और परिणामस्वरूप धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना असफल होना चाहिए क्योंकि उक्त अधिसूचना धारा 5-ए के तहत कार्यवाही किये बिना जारी किया गया था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1962 की दीवानी अपीले सं. 166 और 167

25 अक्टूबर, 1957 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1957 की विशेष अपील सं 140 और 139 में पारित निर्णय व डिक्री के खिलाफ अपील

जे. बी. गोयल, अपीलार्थियों की ओर से (सी.ए. नं. 166/62)

सी. बी. अग्रवाल और *पी. सी. अग्रवाल,* अपीलार्थियों की ओर से (सी.ए. नं. 167/62

के. एस. हजेला और *सी. पी. लाल,* प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (दोनों अपीलों में)

सी. पी. लाल, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से (दोनों अपीलों में)

26 अप्रैल 1963 न्यायालय का निर्णय वंचू जे. द्वारा दिया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर ये दोनों अपीलें सामान्य प्रश्न उठाती हैं और उनका एक साथ निस्तारण किया जाएगा। यदि हम अपील संख्या 167 में तथ्यों का उल्लेख करते हैं तो यह पर्याप्त होगा, क्योंकि अन्य अपील में तथ्य बिल्कुल समान हैं, केवल दोनों मामलों में विवादित भूमि अलग-अलग हैं हालांकि कानपुर शहर में एक ही क्षेत्र में स्थित है।

अपील सं. 167 में अपीलार्थी देउकी नंदन, अनवरगंज, बांस मंडी, कानपुर में दो भूखंडों के पट्टेदार हैं और उनका पट्टा 1943 से 99 साल की अवधि के लिए है। इन भूखंडों पर एक मिल है जिसे ओम कॉटन जिनिंग एंड ऑयल मिल के नाम से जाना जाता है। मिल के अलावा भूखंडों पर पक्के गोदाम भी हैं और दो-तिहाई क्षेत्र इमारतों के अंतर्गत है जबकि एक तिहाई ईंटों से भरी खुली भूमि है। भूमि का कोई भी हिस्सा बेकार या

कृषि योग्य नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि फरवरी 1932 में यूपी सरकार ने अधिसूचना द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कानपुर की पेचबाग दलेलपुरवा योजना संख्या XX (इसके बाद योजना संख्या XX के रूप में संबोधित) के रूप में जानी जाने वाली एक योजना को मंजूरी दे दी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कानपुर को अब कानपुर शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम, 1945 की संख्या VI, (इसके बाद कानपुर अधिनियम के रूप में संबोधित) द्वारा विकास बोर्ड कानपुर (इसके बाद बोर्ड के रूप में संबोधित) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और यूपी नगर सुधार अधिनियम, संख्या III 1920 को कानपुर अधिनियम द्वारा कानपुर पर लागू होने की हद तक निरस्त कर दिया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि 1932 के बाद योजना संख्या XX का क्या हुआ; लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि 1955 में यूपी सरकार के आवास विभाग द्वारा अनुदानित औद्योगिक आवास योजना के रूप में जानी जाने वाली एक योजना प्रायोजित की गई थी। इस योजना को चार चरणों में लागू किया जाना था और हमारे समक्ष वर्तमान अपील चौथे चरण से संबंधित हैं। उस चरण के लिए भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी थी और 6973 टेनेमेंट बनाने का निर्णय लिया गया था, जिनमें से 1368

हमीरपुर रोड पर एक अहाता में होने थे। हमारे समक्ष योजना के इस हिस्से का विवाद हैं, क्योंकि विवादित भूमि इसी इलाके में है। इस संबंध में यूपी सरकार द्वारा मई 1955 में निर्णय लिया गया था। इसके बाद 6 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, (संख्या I, 1894) की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी कि विवादित दो भूखंड की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित अनुदानित औद्योगिक आवास योजना के चौथे चरण में मकानों के निर्माण के लिए व बोर्ड के सामान्य सुधार एवं सड़क योजना संख्या XX के लिए आवश्यकता थी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत 31 जनवरी, 1956 को एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना में आगे कहा गया था कि मामला अत्यावश्यक होने के कारण राज्यपाल द्वारा धारा 17 की उप-धाराओं (1) व (1-ए) के तहत संतुष्ट होते हुए कानपुर कलेक्टर को, धारा 11 के तहत आदेश पारित नहीं होने के बावजूद, निर्देश दिए गए हैं कि धारा 9 (1) में उल्लिखित नोटिस की समाप्ति पर कलेक्टर अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवनों और संरचनाओं का कब्जा ले सकता है। 10 फरवरी, 1956 को कलेक्टर द्वारा धारा 9 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि नोटिस जारी होने के 15 दिन बाद अर्थात 25 फरवरी, 1956 को कब्ज़ा ले लिया जाएगा। इस नोटिस की प्राप्ति पर, देवकी नंदन अपीलकर्ता ने 21 फरवरी, 1956 को कलेक्टर के समक्ष अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई और दो दिन बाद, 23 फरवरी, 1956 को उन्होंने उच्च

न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है।

इस रिट याचिका में अपीलकर्ता की ओर से दो मुख्य बिंदुओं पर आग्रह किया गया था। पहले यह आग्रह किया गया था कि चूंकि अधिग्रहण बोर्ड की योजना सं XX के प्रयोजन के लिए था, कार्रवाई कानपुर अधिनियम की धारा 114 और उसकी अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए थी और चूंकि इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए अधिग्रहण की कार्यवाही अमान्य थी। दूसरा यह आग्रह किया गया कि राज्यपाल को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5A के तहत कार्रवाई किए बिना धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि धारा 5-ए के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसमें आवश्यकता के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर सुनवाई कर रिट को खारिज कर दिया। पहले प्रश्न पर उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि यह ऐसा मामला नहीं था जिस पर कानपुर अधिनियम लागू होता हो। दूसरे प्रश्न पर उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि धारा 17 (4) लागू है और इसलिए धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले धारा 5-ए के अनुपालन के लिए कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद एक अपील की गई जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने की। अपील न्यायालय ने विद्वान

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से सहमति व्यक्त करते हुए अपील खारिज कर दी। हालाँकि, अपील न्यायालय ने प्रार्थना के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया और इस तरह मामला हमारे सामने आया है।

हमारे समक्ष वही दो प्रश्न उठाए गए हैं जो उच्च न्यायालय में उठाए गए थे। सबसे पहले, यह आग्रह किया गया है कि चूंकि अधिग्रहण बोर्ड की योजना सं XX के प्रयोजन के लिए था, कार्यवाही कानपुर अधिनियम की धारा 114 के अनुसार की जानी चाहिए थी और चूंकि इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना सहित सम्पूर्ण कार्यवाही अमान्य थी। दूसरा, यह आग्रह किया गया है कि धारा 17 (4) वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है और धारा 5-ए की अनुपालना किये बिना धारा 6 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती थी। चूँकि ऐसी कोई अनुपालना स्वीकृत रूप से नहीं की गयी थी, ऐसे में भले ही धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना सही हो लेकिन धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना हर मायने में खराब हैं।

अब पहले बिंदु पर आते हैं, अपीलकर्ता की मुख्य निर्भरता कानपुर अधिनियम की धारा 114 पर है जो निम्न प्रकार है-

"भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का संशोधन- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत बोर्ड के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से-

(ए) उक्त अधिनियम इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधन

के अधीन होगा;

(बी) न्यायाधिकरण का पंचाट भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत न्यायालय का पंचाट माना जाएगा।"

हम धारा 108 व 109 का अवलोकन कर सकते हैं। धारा 108 न्यायाधिकरण के गठन का उल्लेख करता है और धारा 109 यह उल्लेखित करता है कि न्यायाधिकरण बोर्ड के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में न्यायालय का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 71 (1) का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमे यह प्रावधान है कि "बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकता है।" अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि जहां बोर्ड के प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहां अध्याय VII के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए जिसमे बोर्ड के लिए विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं और ऐसी योजनाओं को बनाने की प्रक्रिया का प्रावधान उल्लेखित है। अध्याय VII के तहत कार्यवाही किये जाने के पश्चात (और यह विवाद में नहीं है कि जहां तक योजना संख्या XX का संबंध है, वर्तमान मामले में कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है), धारा 114 प्रभाव में आती है और अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के

संशोधित प्रावधानों के तहत होना चाहिए, भले ही सरकार ही भूमि अधिग्रहण कर रही हो। इस संबंध में धारा 114 में उल्लेखित "बोर्ड के लिए भूमि अधिग्रहण" शब्दों पर जोर दिया गया है, यह कहा गया है कि जब भी बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो कार्रवाई केवल कानपुर अधिनियम में निहित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत की जा सकती है, भले ही सरकार ही भूमि अधिग्रहण कर रही हो।

हमारा मानना है कि यह तर्क गलत है। यदि कानपुर अधिनियम की योजना को देखा जाए तो जाहिर होता है अध्याय VII विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं और उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रदान करता है। अध्याय VII के तहत योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को योजना के लिए आवश्यक भूमि खरीदने या इसे धारा 70 के तहत पट्टे पर लेने के लिए शक्ति दी गई है। इसके बाद धारा 71 में विकल्प दिया गया है कि बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कानपुर अधिनियम के प्रावधानों द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। जब बोर्ड धारा 71 के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही करता है तभी धारा 114 प्रभाव में आती है और अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 114 द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम व अनुसूची के तहत होनी चाहिए। यह सत्य है कि धारा 114 बोर्ड *के लिए* भूमि अधिग्रहण की बात करता है

और तर्क यह है कि जब धारा 114 बोर्ड *के लिए* भूमि अधिग्रहण की बात करता है, यह सरकार द्वारा बोर्ड के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू होता है न कि बोर्ड द्वारा अधिग्रहण पर, जो धारा 71 (1) द्वारा प्रदान किया गया है। धारा 114 की यह व्याख्या हमारी राय में गलत है। धारा 71 निश्चित रूप से बोर्ड द्वारा भूमि अधिग्रहण का प्रावधान करती है जिसमे यह उल्लिखित है कि बोर्ड कानपुर अधिनियम द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण कर सकता है; लेकिन वह अधिग्रहण भी उसी धारा द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यानी बोर्ड के लिए है। इसलिए जब धारा 71 बोर्ड को कानपुर अधिनियम द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत करता है, वह अधिग्रहण बोर्ड के लिए है। धारा 71 आगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन की बात करती है। यह संशोधन धारा 71 में प्रदान नहीं किया गया है। संशोधन जानने के लिए हमें धारा 114 को देखना होगा। इसलिए, धारा 114 केवल उस संशोधन को इंगित करने के उद्देश्य को पूरा करता है जिसका उल्लेख धारा 71 में किया गया है। यह मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि धारा 114 में "बोर्ड के लिए भूमि अधिग्रहण" शब्द आते हैं, कि यह अधिग्रहण बोर्ड के लिए सरकार द्वारा किया गया है। कानपुर अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बोर्ड एक योजना बनाता है और फिर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से अपने लिए भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेता है। यदि यह

ऐसा निर्णय लेता है, तो बोर्ड द्वारा स्वयं के लिए ऐसे अधिग्रहण पर धारा 114 भूमि अधिग्रहण अधिनियम में आवश्यक संशोधन के साथ लागू होती है । इस संबंध में हम धारा 109 का उल्लेख कर सकते हैं जो न्यायाधिकरण के कर्तव्यों का वर्णन करती है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां बोर्ड कानपुर अधिनियम की धारा 71 के तहत भूमि अधिग्रहण कर रहा है, वह न्यायाधिकरण है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में न्यायालय की जगह लेता है। लेकिन धारा 109 में भी उन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे कि बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण। चूंकि बोर्ड द्वारा अधिग्रहण भी बोर्ड के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कानपुर अधिनियम की योजना यह है कि बोर्ड पहले अध्याय VII के तहत कार्यवाही करे, फिर धारा 71 के तहत भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेता है और यदि यह ऐसा निर्णय लेता है, तो धारा 114 भूमि अधिग्रहण अधिनियम में आवश्यक संशोधन के साथ लागू होती है। अध्याय VII में धारा 4 के तहत अधिसूचना को धारा 53 के तहत अधिसूचना द्वारा और अध्याय VII में ही धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना को धारा 60 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अनुसूची में दो संशोधन है। यह स्पष्ट है कि अध्याय VII, धारा 71, धारा 114 और अध्याय XI में संशोधनों और अनुसूची में संशोधन से सम्बंधित अन्य प्रावधान सभी एक योजना का हिस्सा हैं, जहां बोर्ड सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रहा है; लेकिन जहां अधिग्रहण, जैसे कि

वर्तमान मामले में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, हालांकि वह उद्देश्य बोर्ड का उद्देश्य हो सकता है, वहां कानपुर अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है और सरकार अधिग्रहण केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत करेगी। इसलिए अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क कि कानपुर अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया है और इसलिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गलत है, में कोई बल नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अब हम अपीलार्थियों की ओर से उठाए गए दूसरे बिंदु पर आते हैं। इस उद्देश्य के लिए हम संक्षेप में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना का उल्लेख कर सकते हैं। अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 4 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के साथ शुरू होती है। उस अधिसूचना द्वारा सरकार अधिसूचित करती है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या होने की संभावना है। उस अधिसूचना के कुछ निश्चित परिणाम होते हैं और एक अधिकारी को आम तौर पर या विशेष रूप से सरकार द्वारा और उसके नौकरों और कामगारों को ऐसे इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और स्तर लेने, खोदने या उप-मिट्टी में बोर करने, यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने के लिए कि क्या भूमि इस तरह के उद्देश्य के लिए अनुकूलित है, प्रस्तावित भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए, लेने के लिए, और

इसी तरह के अन्य कार्य करने का अधिकार दिया जाता है। फिर धारा 5-ए में प्रावधान है कि धारा 4 में अधिसूचित किसी भी भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर भूमि के अधिग्रहण या इलाके में किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति कर सकता है। ऐसी प्रत्येक आपत्ति कलेक्टर को लिखित रूप में दी जाएगी और कलेक्टर को आक्षेपकर्ता को सुनवाई का अवसर देना होगा। सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और आगे की जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता है, कलेक्टर को अपने द्वारा आयोजित कार्यवाही के रिकॉर्ड और आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट सरकार के निर्णय के लिए मामला प्रस्तुत करना होता है। आपत्तियों पर सरकार का निर्णय अंतिम है। इसके बाद धारा 6 के तहत अधिसूचना आती है, जो यह प्रदान करती है कि जब उपयुक्त सरकार धारा 5-ए के तहत बनाई गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है, इस आशय की घोषणा की जाएगी और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। धारा 6 के तहत ऐसी घोषणा किए जाने के बाद, कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण के लिए आदेश लेना होगा। इसे, यदि आवश्यक हो तो , धारा 8 के तहत चिह्नित, मापा और योजनाबद्ध किया जाता है और धारा 9 के तहत इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस दिया जाता है। इसके बाद कलेक्टर धारा 11 के तहत जांच करते हैं और पंचाट पारित करते है। पंचाट पारित हो जाने के बाद कलेक्टर

को धारा 16 के तहत जमीन पर कब्जा लेने का अधिकार मिल जाता है और भूमि तब सभी बाधाओं से मुक्त होकर सरकार में निहित हो जाती है।

इस योजना से यह स्पष्ट हो जायेगा कि धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले धारा 5-ए के प्रावधान की अनुपालना किया जाना आवश्यक है। जैसे ही धारा 4 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाती है, सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए प्रवेश कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य कर सकता है कि क्या भूमि उस उद्देश्य के लिए अनुकूलित है जिसके लिए उसे अभिग्रहित किया जाना है और यह कार्रवाई, यदि की जाती है, तो आपत्ति करने के इच्छुक लोगों को पर्याप्त सूचना होगी। यदि आपत्तियां की जाती हैं तो कलेक्टर उन आपत्तियों पर विचार करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट में उस पर अपनी सिफारिश करेगा। यदि कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो कलेक्टर रिपोर्ट करेगा कि कोई आपत्ति नहीं की गई है और सरकार तब धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी करने के लिए कार्यवाही करेगी। हालाँकि, दोनों ही मामलों में, यदि आपत्तियाँ दायर की जाती हैं तो कलेक्टर को उन पर अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट बनानी होगी या सरकार को सूचित करना होगा कि धारा के तहत अधिसूचना के अनुसरण में कोई आपत्तियाँ दर्ज नहीं की गई हैं और इसके बाद सरकार को धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले यह, जैसा कि हमने कहा है, पालन

की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि इस सामान्य प्रक्रिया में धारा 17 के तहत एक अपवाद है, और यही कारण है कि धारा 6 में "धारा 5-ए के तहत की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद" खंड में "यदि कोई हो" शब्द मिलते हैं। जब धारा 17(4) के तहत कार्रवाई की जाती है, तो धारा 5-ए में प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है और धारा 6 के तहत अधिसूचना धारा 5 के तहत कलेक्टर की रिपोर्ट के बिना जारी की जा सकती है। वर्तमान अपीलों में हमारा सरोकार धारा 17 (1) और 17 (4) से है, जिसे अब हम पढ़ते हैं:-

"17(1). अत्यावश्यक मामलों में, जब भी उपयुक्त सरकार ऐसा निर्देश देती है, कलेक्टर, हालांकि ऐसा कोई पंचाट नहीं दिया गया है, धारा 9 उप-धारा (1) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए या किसी कंपनी के लिए किसी भी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर कब्ज़ा कर सकता है और ऐसी भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से सरकार में निहित हो जाएगी।"

"17(4) किसी भी भूमि के मामले में, जिस पर उपयुक्त सरकार की राय में, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं, उपयुक्त सरकार निर्देश दे सकती है कि धारा5 ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और यदि यह ऐसा निर्देश देती है, तो धारा 4, उपधारा (1) के तहत अधिसूचना

के प्रकाशन के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में धारा 6 के तहत एक घोषणा की जा सकती है।"

यह देखा जायेगा कि धारा 17(1) सरकार को कलेक्टर को निर्देशित करने की शक्ति देती है, हालाँकि धारा 11 के तहत कोई पंचाट नहीं दिया गया है, कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर कब्ज़ा कर ले और ऐसी भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर सरकार में निहित हो जाती है। यदि धारा 17 (1) के तहत कार्यवाही की जाती है तो धारा 17 (1) के तहत पंचाट के बाद कब्ज़ा लेना और निहित करना जो धारा 16 में प्रदान किया गया है, त्वरित हो जाता है हैं और 9 धारा के तहत नोटिस के प्रकाशन के पंद्रह दिन बाद हो सकता हैं। इसके बाद धारा 17(4) आती है जो यह प्रावधान करती है कि किसी भी भूमि के मामले में जहाँ उप-धारा (1) लागू हैं, सरकार निर्देश दे सकती है कि धारा 5-ए का प्रावधान लागू नहीं होगा और यदि यह ऐसा निर्देश देते है, तो धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में धारा 6 के तहत एक घोषणा की जा सकती है। यह देखा जाएगा कि वहां भी यह जरूरी नहीं है जहां सरकार धारा 17(1) के तहत कोई निर्देश देती है कि इसे धारा 17(4) के तहत भी एक निर्देश बनाना चाहिए। यदि सरकार केवल धारा 17(1) के तहत कोई निर्देश बनाती है तो धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले धारा 5-ए के अंतर्गत प्रक्रिया पालन करना होगा, हालांकि उस प्रक्रिया के पालन के बाद धारा 6

के तहत अधिसूचना जारी करने पर कलेक्टर को धारा 9 के तहत नोटिस के बाद, पंचाट की प्रतीक्षा किए बिना, जमीन पर कब्जा लेने की शक्ति मिल जाती है और इस तरह कब्ज़ा लेने पर भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर सरकार में निहित हो जाएगी। ऐसा तभी होता है जब सरकार भी धारा 17(4) के तहत घोषणा करती है कि धारा 5-ए के अंतर्गत कार्यवाही करना अनावश्यक हो जाता है और उसके अंतर्गत एक रिपोर्ट बनाएं। ऐसा हो सकता है कि आम तौर पर जहां कोई आदेश धारा 17(1) के तहत किया जाता है, वहां धारा 17(4) के तहत भी एक आदेश पारित किया हो; लेकिन क़ानूनी तौर पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। यह भी देखा जाएगा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17(1) या 17(4) के तहत आदेश केवल बंजर या कृषि योग्य भूमि के संबंध में पारित किया जा सकता है और यह उस भूमि के संबंध में पारित नहीं किया जा सकता जो बंजर या कृषि योग्य नहीं है और जिस पर इमारतें खड़ी हैं।

यह हमें धारा 17(1-ए) पर लाता है जो भूमि अधिग्रहण (यूपी संशोधन) अधिनियम, (संख्या XXII, 1954) द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 में पेश किया गया। उस अधिनियम की धारा 6 निम्न प्रकार है:-

"प्रधान अधिनियम (भूमि अधिग्रहण अधिनियम) की धारा 17 की उप-धारा (1) के बाद निम्नलिखित को एक नई उप-धारा (1-ए) के रूप में

जोड़ा जाएगा:

'(1-ए) उप-धारा (1) के तहत कब्ज़ा लेने की शक्ति का प्रयोग बंजर या कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य मामलों में भी किया जा सकता है, जहां भूमि किसी भी प्रकार के स्वच्छता सुधार या नियोजित विकास के लिए या उसके संबंध में अर्जित की जाती है।

यह हमारे समक्ष विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि की आवश्यकता थी। इसलिए यूपी अधिनियम द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जोड़ी गई उपधारा (1-ए) लागू होती है। हालाँकि अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि उपधारा (1-ए) बंजर या कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य भूमि पर केवल कब्जा करने की शक्ति देती है जहां भूमि किसी भी प्रकार के स्वच्छता सुधार या नियोजित विकास के लिए या उसके संबंध में अर्जित की जाती है। आगे यह आग्रह किया गया है कि उपधारा (1) का उल्लेख उपधारा (1-ए) में, केवल उन परिस्थितियों जिनमें कब्ज़ा लेने की शक्ति का प्रयोग बंजर या कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य भूमि के संबंध में किया जा सकता है और वह समय जब ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, को उल्लिखित करने के लिए किया गया है। आगे तर्क यह है कि धारा 17 (4) में यूपी अधिनियम XXII द्वारा नयी उप-धारा (1-ए) को भी उस उप-धारा में शामिल करने के लिए

संशोधन नहीं किया गया था। उप-धारा (4) ऐसी ही है जैसी पूर्व में थी; इसलिए यह अभी भी बंजर और कृषि योग्य भूमि पर ही लागू होता है।

इस तर्क में बल है। यूपी एक्ट द्वारा उप-धारा (1) में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसलिए जब उप-धारा (4) किसी भी भूमि की बात करती है जिस पर उप-धारा (1) लागू है, यह अभी भी केवल बंजर या कृषि योग्य भूमि को संदर्भित करता है और किसी अन्य को नहीं। यह सत्य है कि यूपी अधिनियम द्वारा धारा 17 में उप-धारा (4) पेश कर बंजर या कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य भूमि होने पर कब्जा लेने की शक्ति दी गई है; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उप-धारा (4) भी बंजर या कृषि योग्य के अलावा अन्य भूमि के मामलो पर लागू होगी क्योंकि उप-धारा (1-ए) द्वारा बंजर या कृषि योग्य के अलावा अन्य भूमि पर कब्जा करने की शक्ति दी गई है। हमें ऐसा लगता है कि जब उप-धारा (1) का उल्लेख यूपी अधिनियम द्वारा पेश उप-धारा (1-ए) में किया गया है, इसका मतलब केवल यह है कि शक्ति का प्रयोग बंजर या कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य भूमि पर कब्जा करने के लिए उन्हीं परिस्थितियों और उसी समय में किया जा सकता है जिसके लिए उप-धारा (1) में कृषि योग्य या बंजर भूमि के संबंध में प्रावधान है और इसके अतिरिक्त नहीं। यूपी अधिनियम द्वारा प्रस्तुत उप-धारा (1-ए) का प्रभाव केवल कब्ज़ा लेने में तेजी लाने का है जो आम तौर पर, अपशिष्ट या कृषि योग्य के अलावा भूमि के मामलो में धारा 11 के तहत पंचाट जारी होने के बाद उप-धारा(1)

में उल्लिखित परिस्थितियों और शर्तों के तहत हो सकता है। लेकिन उप-धारा (1-ए) उप-धारा(1) में संशोधन नहीं करती है जिससे उस उप-धारा के अंतर्गत बंजर या कृषि योग्य भूमि के अलावा अन्य भूमि को भी शामिल किया जा सके। इसलिए जब यूपी विधायिका द्वारा प्रस्तुत उप-धारा (1-ए) को उप-धारा (4) में शामिल करने के लिए संशोधन नहीं किया गया था, ऐसे में यह केवल उप-धारा(1) में उल्लिखित बंजर या कृषि योग्य भूमि पर लागू हो सकता है, जो भी असंशोधित रहा। हम पहले ही बता चुके हैं कि कानून में यह आवश्यक नहीं है कि जब कोई आदेश धारा 17 (1) के तहत पारित किया जाए, तो एक आदेश धारा 17 (4) के तहत भी पारित किया जाना चाहिए। इसी तरह यदि उप-धारा (1-ए) के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह जरूरी नहीं है कि धारा 17 (4) के तहत एक आदेश पारित किया जाना चाहिए। धारा 17 (1) और 17 (4) इस सन्दर्भ में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं कि पूर्व के तहत एक आदेश के लिए बाद के तहत एक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार धारा 17 (1-ए) को धारा 17 (4) से स्वतंत्र होना चाहिए और धारा 17 (1-ए) के तहत एक आदेश का मतलब यह नहीं होगा कि धारा 17 (4) के तहत एक आदेश पारित किया जाना होगा। इन परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि यदि विधायिका की मंशा यह थी कि उप-धारा (4) के प्रावधान उप-धारा (1-ए) के प्रावधान के अंतर्गत आने वाले मामले पर भी लागू होना चाहिए, तो उस मंशा को पूरा करने में विफल रहे है। उप-धारा (1-ए) को एक स्वतंत्र उप-

धारा के रूप में जोड़ा गया है और उप-धारा (1) या उप-धारा (4) में कोई संशोधन नहीं किया गया है; न ही उप-धारा (1-ए) के अंतर्गत आने वाले मामले पर उप-धारा (4) लागू करने के लिए अलग प्रावधान बनाया गया है और ऐसे में उप-धारा (4) उप-धारा (1-ए) पर लागू नहीं की जा सकती है। धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दाखिल करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जब किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण की धमकी दी जा रही हो और हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि उस अधिकार को किसी भी तरह से छीना जा सकता है क्योंकि उप-धारा (1) उप-धारा (4) का उल्लेख करती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उप-धारा (1-ए) में उप-धारा (1) का उल्लेख केवल उन परिस्थितियों और शर्तों को जिनके तहत कब्ज़ा लिया जा सकता है, को इंगित करने के लिए किया गया है। विधायिका ने उप-धारा (1) में उप-धारा (1) का उल्लेख अर्थव्यवस्था के माप के रूप में किया है; अन्यथा उप-धारा (1-ए) इस प्रकार पढ़ी जाती:-

"अत्यावश्यक मामलों में, जब भी उपयुक्त सरकार ऐसा निर्देश देती है, कलेक्टर, हालांकि ऐसा कोई पंचाट नहीं दिया गया है, धारा 9 उप-धारा (1) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से पंद्रह दिनों की समाप्ति पर, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए बंजर या कृषि योग्य भूमि के अलावा किसी भी भूमि पर कब्ज़ा कर सकते है, जहां भूमि किसी भी प्रकार के स्वच्छता सुधार या नियोजित विकास के लिए या उसके संबंध में अधिग्रहित की जाती है।

अब यदि यहाँ शब्दों की सीमा नहीं हो और उप-धारा (1-ए) ऐसे पढ़ी जावे जैसे उपर इंगित किया गया है, यह बहस करना संभव नहीं हो सकता था कि धारा 17 की उप-धारा (4) में धारा 17 की उप-धारा (1-ए) के मामलों को भी शामिल किया गया हो। इसीलिए शब्दों को सीमित रखते हुए विधायिका ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो उप-धारा (1-ए) में किया था, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके द्वारा उप-धारा (1) या उप-धारा (4) में संशोधन किया जा रहा हो। उप-धारा (1) या उप-धारा (4) में संशोधन के अभाव में और धारा 17 की उप-धारा (4) को उप-धारा (1-ए) पर लागू करने के लिए धारा 17 में कोई विशिष्ट प्रावधान पेश किए जाने के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार, केवल उप-धारा (1-ए) को जिस प्रकार धारा 17 में पेश किया गया है, उससे उप-धारा (1-ए) के अंतर्गत आने वाले मामले में भी उप-धारा (4) लागू करने की शक्ति प्रदान की गई हो। इसलिए हमारी राय है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना में राज्य सरकार के लिए यह कहना सही नहीं था कि धारा 5-ए के तहत कार्यवाही नहीं होगी। इसलिए धारा 4 के तहत अधिसूचना का यह भाग राज्य सरकार की शक्तियों से परे है। परिणामस्वरूप धारा 6 के तहत अधिसूचना भी सही नहीं है क्योंकि यह धारा 5-ए के तहत कार्यवाही किए बिना जारी किया गया था। इसलिए अपीलों की अनुमति दी जानी चाहिए और धारा 6 के तहत अधिसूचना और धारा 4 के तहत अधिसूचना का वह भाग जो कहता है कि राज्यपाल संतुष्ट होकर यह निर्देश देते है कि

धारा 17 की उप-धारा (1-ए) पर धारा 5-ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे, गलत है और इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। धारा 4 की अधिसूचना का शेष भाग मान्य होगा और सरकार यदि चाहे तो धारा 5-ए में कार्यवाही करने के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही कर सकेगा और उसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी कर सकता है। इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं को अब धारा 5-ए के तहत एक अवसर दिया जाना चाहिए, हालांकि धारा में प्रदान की गई आपत्तियां करने की अवधि, धारा 9 के तहत नोटिस जारी होने के बाद कलेक्टर के समक्ष की गई आपत्तियों को धारा 5-ए के तहत की गई आपत्तियां मानकर सरकार की ओर से कारित कानून की गलतफहमी से, बहुत पहले ही समाप्त हो गई है। अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय की लागत प्रत्यर्थीगण से प्राप्त होगी; सुनवाई शुल्क का एक समूह।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री पलाश मीणा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।